संख्या-9/2017/781/71-आयुष-2-2017-95/2015

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13 अप्रैल, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में हर्बल गार्डेन व सभागार आदि हेतु उपलब्ध भू-विन्यास के लैण्डस्केपिन्ग एवं तदनुसार बाऊड्रीवाल एवं पम्प हाऊस के निर्माण हेतु धनराशि स्वाकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 के क्रम में आपके पत्र संख्या-नि0हों0/1041/बजट/प्लान/ 2017-18/4050, दिनॉक 12-04-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में हर्बल गार्डेन व सभागार हेतु उपलब्ध भू-विन्यास के लैण्डस्केपिन्ग एवं तदनुसार बाऊड्रीवाल एवं पम्प हाऊस के निर्माण हेतु रू0 4,53,62000/- (रूपये चार करोड तिरपन लाख बासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-34 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 12,51,09,000/- (रूपये बारह करोड इक्यावन लाख नौ हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम 05 माह के लिए स्वीकृत लेखानुदान मे से रू0 5,21,28,750/-के सापेक्ष रू0 2,26,81,000/- (रूपये दो करोड छब्बीस लाख इक्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदो में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदो पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समायावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।
3- अवमुक्त धनराशि का अहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते मे नही रखा जायेगा।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में उल्लिखित दिशा-निदेर्शो को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से निदेशक, प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न ता स्वीकृत है और वर्तामान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस प्रायोजना पर आगमी वित्तीय स्वीकृति तभी प्रदान की जायेगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 34 के अन्तर्गत् लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाये-800- अन्य व्यय-09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के मानक मद-24-वृहद निर्माण निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-9/2017/781(1)/71-आयुष-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4- आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0 लखनऊ ।
5- निदेशक, होमयोपैथी उ0प्र0 लखनऊ ।
6- प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग 1/2/(समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ)
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।